

## भारत में जनजातियों के अधिकार

यह एडिटरियल 22/07/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Madam President: On Droupadi Murmu's election as India's 15th President" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन और भारत में जनजातियों के अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन सांकेतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वे इस पद को धारण करने वाली आदिवासी/जनजाति पृष्ठभूमि की पहली व्यक्ति होंगी।

- सुश्री मुर्मू का चुनाव जनजाति सशक्तीकरण की यात्रा में मील का पत्थर है। औपनिवेशिक भारत में जनजाति वर्ग के दो व्यक्तियों को पहली बार वधायी निकायों के लिये चुने जाने के 101 वर्ष बाद देश के सर्वोच्च पद पर इस वर्ग के व्यक्तिका निर्वाचन हुआ है।
- हालाँकि भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनजातीय लोगों की गैर-लाभपूर्ण स्थिति से पूर्णतः परचित थे और उन्होंने संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूचियों जैसे विशेष प्रावधान किये, लेकिन उन्हें प्राप्त सुरक्षा उपायों के व्यवस्थित क्षरण, पुलिस द्वारा उनके उत्पीड़न एवं दमन और राज्य द्वारा जनजातीय स्वायत्तता के प्रति एक सामान्य असहिष्णुता के संबंध में जनजातीय कार्यकर्ताओं के बीच चिंता की वृद्धि हो रही है।

## अनुसूचति जनजातियों के रूप में किसी समुदाय के चिह्नित होने के लिये कौन-सी आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहियें?

- **लोकुर समिति (वर्ष 1965) के अनुसार**, उनमें पाँच आवश्यक विशेषताएँ होनी चाहियें:
  - आदिम लक्षणों के संकेत
  - वशिष्ट संस्कृति
  - बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच
  - भौगोलिक अलगाव
  - पछिड़ापन

## अनुसूचति जनजातियों के लिये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा उपाय कौन से हैं?

- भारत का संविधान 'जनजाति' (Tribe) शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, यद्यपि 'अनुसूचति जनजाति' (Scheduled Tribe) शब्द को संविधान में [अनुच्छेद 342](#) के माध्यम से शामिल किया गया था।
  - यह निर्धारित करता है कि "राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों को वनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचति जनजातियों समझा जाएगा।"
  - संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचति क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes' Advisory Council) की स्थापना का प्रावधान करती है।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:
  - [अनुच्छेद 15\(4\)](#): अन्य पछिड़े वर्गों (इसमें अनुसूचति जनजाति शामिल हैं) की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान
  - [अनुच्छेद 29](#): अल्पसंख्यकों (इसमें अनुसूचति जनजाति शामिल हैं) के हितों का संरक्षण
  - अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, वशिष्टता, अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
  - [अनुच्छेद 350](#): वशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृतिक संरक्षण का अधिकार
- राजनीतिक सुरक्षा उपाय:
  - [अनुच्छेद 330](#): अनुसूचति जनजातियों के लिये लोकसभा में सीटों का आरक्षण
  - अनुच्छेद 337: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचति जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण

◦ [अनुच्छेद 243](#): पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण।

■ प्रशासनिक सुरक्षा उपाय:

◦ [अनुच्छेद 275](#): यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष नधि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

## अनुसूचित जनजातियों के लिये हाल में सरकार द्वारा की गई पहलें:

- [ट्राइफेड \(TRIFED\)](#)
- जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation of Tribal Schools)
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास (Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups)
- [प्रधानमंत्री वन धन योजना](#) (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)
- [एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय](#) (Eklavya Model Residential Schools)

## भारत में जनजातियों के समक्ष वदियमान समस्याएँ:

- **प्राकृतिक संसाधनों पर नयितरण खोना:** जैसे-जैसे भारत का औद्योगीकरण हुआ और जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज की गई, जनजातीय अधिकारों को क्षीण किया गया और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के नयितरण ने जनजातीय नयितरण को प्रतस्थापित कर दिया।
  - संरक्षित वनों और राष्ट्रीय वनों की अवधारणा के प्रचलन में आने के साथ, जनजातीय लोगों ने स्वयं को अपने सांस्कृतिक जड़ों से उखड़ा हुआ अनुभव किया और उनके पास आजीविका का कोई सुरक्षित साधन नहीं रहा।
- **शिक्षा की कमी:** जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है और वहाँ न्यूनतम शिक्षण सामग्री और यहाँ तक कि न्यूनतम स्वच्छता प्रावधान भी उपलब्ध नहीं हैं।
  - शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ न होने के कारण जनजातीय माता-पिता अपने बच्चों को लाभकारी रोज़गार में लगाना अधिक पसंद करते हैं।
  - अधिकांश जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम आधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किये गए हैं, जो आदिवासी छात्रों के लिये अपरचित और दुरबोध हैं।
- **वसिथापन और पुनर्वास:** बड़े इस्पात संयंत्रों, बजिली परियोजनाओं और बड़े बांधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमिके अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर वसिथापन हुआ है।
  - छोटानागपुर क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को सबसे अधिक हानि हुई है।
  - इन जनजातीय लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे शहरी जीवन शैली और मूल्यों से अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ:** आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण, जनजातीय लोगों को मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसे रोगों के प्रसार संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - वे लौह तत्व की कमी एवं एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि कुपोषणजनित समस्याओं के भी शिकार हैं।
- **लैंगिक मुद्दे:** प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास, विशेष रूप से वनों के वनाश और तेज़ी से सकिड़ते संसाधन आधार के कारण महिलाओं की स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है।
  - खनन, उद्योग और व्यावसायीकरण के लिये जनजातीय क्षेत्रों के खुलने से जनजाति समूह के पुरुष और महिलाएँ बाज़ार अर्थव्यवस्था के क्रूर संचालन के अधीन आ गए हैं जहाँ उपभोक्तावाद और महिलाओं के वस्तुकरण (commodification of women) की वृद्धि हो रही है।
- **अस्मिता का क्षरण:** आदिवासियों की पारंपरिक संस्थाएँ और कानून आधुनिक संस्थानों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ रहे हैं जो आदिवासियों में अपनी अस्मिता (Identity) को बनाए रखने के बारे में आशंका को जन्म दे रहा है।
  - जनजातीय बोलियों और भाषाओं का विलुप्त होना चिंता का एक अन्य कारण है क्योंकि यह आदिवासी अस्मिता के क्षरण का संकेत देता है।

## भारत में जनजातियों को सशक्त बनाने के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- **स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार:** दूरस्थ जनजातीय आबादी तक पहुँच में सुधार के लिये मोबाइल चिकित्सा शिविर एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
  - गर्भवती जनजातीय महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं तक प्रसूति देखभाल हेतु पहुँच के लिये आपातकालीन परिवहन का प्रावधान उनकी प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है।
  - जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य सुविधाओं और जनजातीय समुदायों के बीच रोगियों के मार्गदर्शन, चिकित्सकों के नुसखे समझाने, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में रोगियों की मदद करने और उन्हें नविकार एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य व्यवहारों के बारे में परामर्श देने के विषय में एक कड़ी बन सकते हैं।
- **खाद्य और पोषण सुविधा में सुधार:** आसान मानदंडों के साथ बड़े पैमाने पर लघु आंगनवाड़ियों (Mini-Anganwadis) का गठन और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम अनाज बैंकों (Village Grain Banks) का वसितार कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में अब तक 'पहुँच से बाहर' के लोगों तक पहुँचने के लिये अपनाया जा सकता है।
- **रोज़गार और आय सृजन:** जनजातीय क्षेत्रों के लिये रोज़गार और आय सृजन के अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिये। उन्हें भुगतय रोज़गार या स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और इस प्रकार उन्हें गरीबी और ऋणग्रस्तता की बेड़ियों से मुक्त किया जाना आवश्यक कदम होगा।
  - स्वरोज़गार उपक्रमों के लिये माइक्रो-क्रेडिट का वसितार करने और कार्य अवसरों की अनुपलब्धता पर मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करने के भी प्रयास किये जाने चाहिये।
  - लघु वनोपजों (Minor forest produce) के संग्रहण और उनके विपणन को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- **जल संसाधनों का प्रबंधन:** जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल नीति का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सचिदाई सुवर्धियों के वसुतार और पेयजल के प्रावधान (वाटरशेड प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जल बचत पद्धतियों पर वशिष बल देते हुए) को कवर कया जा सके।
  - प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन और जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लयि ग्रामीण और जनजातीय आबादी के बीच जन शक्तिषा और जन जागरूकता का प्रसार भी आवश्यक है।
- **जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण:** जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लयि प्रभावी उपाय कयि जाने चाहयि। इसके लयि नमिनलखिति कदम उठाये जा सकते हैं:
  - संयुक्त वन प्रबंधन और पंचायती राज संस्थाओं में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा देना;
  - महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और पीड़िति महिलाओं के पुनर्वास के लयि व्यापक अभयान के साथ-साथ जादू-टोना की संदगिध महिलाओं को पीड़िति करने के अभ्यास पर रोक के लयि कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय करना।
- **जनजातीय आबादी का समावेशन:**
  - **औषधीय पौधों की खेती:** जेनेरिक दवाओं के नरियात में भारत वशि्व में शीर्ष स्थान रखता है। जनजातिसमूह के लोगों को प्रोत्साहति कयि जाना चाहयि कवे स्व-उपभोग के साथ-साथ बकिरी के लयि जंगल से औषधीय पौधों की पहचान एवं संग्रहण के साथ ही उपयुक्त पादप प्रजातियों की खेती के लयि सरकार के साथ सहयोग करें।
    - भारत सरकार ने इस व्यापार का लाभ उठाने का नरिणय लयिा है और इसके लयि एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (National Medicinal Plant Board) की स्थापना की है।
  - **अवसंरचना वकिस:** सरकार जनजातीय समूहों के साथ उनके स्थानीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के वकिस के लयि सहयोग कर सकती है।
    - मेघालय को इसके 'लविगि रूट ब्रिज' (Living root bridge) के लयि जाना जाता है। ये पुल पारंपरिक रूप से प्रशक्तिषति खासी और जयंतिया जनजात के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जनिहोंने मेघालय के घने वन से प्रवाहति जलधाराओं के उभरे हुए कनारों पर इन पुलों का नरिमाण करने की कला में महारत हासलि कर रखी है।
  - **सामाजिक समावेशन:** जनजातीय लोगों द्वारा अनुभव कयिा जाने वाला सामाजिक बहरिवेशन मुख्य रूप से सामाजिक और संस्थागत स्तर पर भेदभाव के कारण होता है। इसने उनके अलगाव, शर्म और अपमान की स्थिति उत्पन्न की है और परणामत: जनजातियों के बीच आत्म-बहरिवेशन को अवसर दयिा है।
    - जनजातीय लोगों की क्षमता और गरमिा की पहचान करने के लयि देश की गैर-आदविसी आबादी के बीच जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है ताकि देश की एकता एवं अखंडता और बंधुत्व की भावना को सुनश्चिति कयिा जा सके।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर प्रकाश डालें। उनके सशक्तीकरण के लयि कुछ समाधान प्रस्तुत करें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/tribal-rights-in-india>